# न्यायालय, अनुमण्डल पदाधिकारी, चैनपुर (गुमला)।

(सामान्य न्यायालय)

वाद सं०– **एम०– 15/2024–25**

वाद का प्रकार– **धारा– 126 भा०ना०सु०सं०**

झारखण्ड सरकार (द्वारा थाना प्रभारी, जारी थाना) –बनाम– महबुब खान वगै०

**आदेश**

पुलिस निरीक्षक, **चैनपुर अंचल** के अप्राथमिकी काण्ड स०– **23/2025** एवं **जारी थाना** अप्राथमिकी काण्ड स0– **02/2025** दिनांक– **04.06.2025** से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में धारा– 126 भारतीय नगारिक सुरक्षा संहिता के तहत इस वाद की कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए द्वितीय पक्ष **1.** महबुब खान, पे०– सबीर खान, सा०– बरवाडीह **2.** शाहरूख आलम, पे० कुतुबुद्दीन आलम, सा० जरडा **3.** अफताब खान, पो० मो० सबीर खान, सा० परसा **4.** विनय एक्का, पे० स्व० रूबेन एक्का, सा० सिंहपुर **5.** लाल खान दोनो पे० जुमन अंसारी, सा० गोविन्दपुर **6.** विमल मिंज, पे० तरष्युस मिंज, सभी सा० गोविन्दपुर **7.** सरवर खान, पे० ईमामुद्दिन खान, सा० तिगरा **8.** मनोज बड़ाईक, पे० किशुन बड़ाईक, सा० तिगरा सभी थाना– जारी, जिला– गुमला को **ई–उल–जुहा (बकरीद) 2025** में शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना को लेकर नोटिस निर्गत किया गया। द्वितीय पक्षकारो द्वारा न्यायिक कार्यावधि के संपूर्ण काल में अपने पक्ष में तथ्यों का प्रस्तुतीकरण नहीं किया गया परन्तु शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु Bond Down भी किया गया है। चूंकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा– 126 के तहत विर्निदिष्ट समयावधि पूर्ण होने के कारण इस वाद की कार्यवाही इस हिदायत के साथ समाप्त की जाती है कि द्वितीय पक्षकार लोक परिशांति व विधि–व्यवस्था बनाए रखेंगे।

अतः इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

**लेखापित एवं संशांधित**

05.12.25

**अनुमण्डल पदाधिकारी,**
**चैनपुर (गुमला)।**

05.12.25

**अनुमण्डल पदाधिकारी,**
**चैनपुर (गुमला)।**

Digitally signed by PURNIMA KUMARI
Date: 2025.12.09 21:29:09 +05:30
Location: 172.27.60.77

Scanned with CamScanner